

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) (आर-512/86)/अलेसे-III/7681-7699

दिनांक :- 05.7.2013

आदेश संख्या 144/2013-14

श्री राजेन्द्र कुमार (चौधरी), कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित), हाल मुख्यालय कोषालय, बूंदी को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-3, कोटा ने सरकार बनाम श्रीमती पुष्पा जैन व अन्य फौजदारी प्रकरण संख्या 997/2010, निर्णय दिनांक 08.06.2012 के द्वारा धारा 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000 रूपए (अक्षरे एक हजार रूपए) के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतने के दंड का आदेश दिया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री राजेन्द्र कुमार (चौधरी), कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित) का वह आचरण जिसके कारण से सिद्ध दोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अब अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री राजेन्द्र कुमार (चौधरी), कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित) को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।



निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) (आर-512/86)/अलेसे-III/7681-7699

दिनांक :- 05.7.2013

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1- महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा।
- 2- निदेशक, प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा।
- 4- पुलिस अधीक्षक (अन्वेषण), सीआईडी (सीबी), जयपुर।
- 5- उप निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा।
- 6- कोषाधिकारी, बूंदी। 323001-258555
- 7- अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक-I (डीपीसी शाखा)।
- 8- संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच), कोष एवं लेखा।
- 9- उप निदेशक (अल्प बचत) को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक प.ई1 (216)/अबनि/संस्था/अभिकर्ता/शिका./2775 दिनांक 21.06.2013 के क्रम में।
- 10- श्री राजेन्द्र कुमार (चौधरी), कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित), मुख्यालय कोषालय, बूंदी 323001 रजिस्टर्ड
- 11- निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 12- पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, लेखाकार।
- 13- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
- 14- उप निदेशक (सीपी)



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)